DR-1152
10/10/19

कुल सचिव का कार्यालय
डाक प्राप्ति
संख्या 10067
तिथि 09/X/19
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ-226007

प्रेषक,

सहायक निदेशक (सेवा0),
क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ,
उ0प्र0।

GA 1224
10/10/19

सेवा में,

माननीय कुलपति जी,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उ0प्र0।

27 SEP 2019
2886

पत्रांक: 1700 /2019 दिनांक 26 सितम्बर 2019

विषयः—लखनऊ विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर पंजीयन की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्रम अनुभाग –5 के शासनादेश संख्या 320/छत्तीस–5–2019–7(88)/2017/टी0सी0–2 दिनांक 26.06.2019 (संलग्नक–1) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें उ0प्र0 के अन्तर्गत समस्त नौकरियों को सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर बेरोजगार अभ्यर्थियों के पंजीकरण की अनिवार्यता का प्राविधान किया गया है।

उक्त शासनादेश के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी लखनऊ महोदय द्वारा पत्रांक 1164–65 ई0एम0आई0/पंजीकरण/2019 दिनांक 21.08.2019 (संलग्नक–2) के द्वारा शासनादेश के परिचालन एवं अनुपालन की अपेक्षा की गई है।

अतः उपरोक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के समस्त विभागों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत अन्तिम वर्ष के समस्त छात्र/छात्राओं का सेवायोजन पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर अनिवार्य पंजीयन कराने सम्बन्धी दिशा निर्देश निर्गत करने की कृपा करें जिससे अधिकाधिक संख्या में अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जा सकें।

DR GA-1

कृपया 03 कार्य दिवसों में नियमानुसार परीक्षण कर आख्या सहित प्रस्तुत करें।

कुलसचिव
तिथि: 9/10

भवदीय

26/9/19
सहायक निदेशक (सेवा0)
लखनऊ मण्डल
लखनऊ।

Registrar
9.10.19

प्रभारी (सेवायोजन)
10.10.2019

GA-1224

उपकुलसचिव (सा० प्रशा०) / कुलसचिव जी,

कृ० यदि सहमत हो तो पत्र निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया जाए : —

1- समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।

2- समन्वयक, एन० एस० एस०।

3- अधिष्ठाता, सम्बद्धता।

4- ई-ग्रा. website के मुख्य आमुख में प्रदर्शित की (उपरोक्त समस्त को Email करने का कष्ट करें)

कृ० अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ

Neeraj 14/X/19

14.X.19

14.10.2019.

DRGA

19/X

19/X

YCGA

22.10.2019.

संलग्नक -1

४०

संख्या- 320 / [illegible]-1-2018-7(स)/ 2017[illegible]

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।

श्रम अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 26 जून 2018

विषय : उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत समस्त नौकरियों हेतु सेवायोजन पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि सेवायोजन विभाग उ0प्र0 द्वारा www.sewayojan.up.nic.in पोर्टल का विकास किया गया है। इस पोर्टल पर बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों के पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों के हित के दृष्टिगत यह उचित होगा कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत भरी जाने वाली समस्त नौकरियों (समस्त सरकारी / अर्द्ध सरकारी, निजी क्षेत्र, संविदा, आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले, शिक्षण संस्था [illegible]) हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण [illegible] बेरोजगार अभ्यर्थियों के सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण [illegible] से रोजगार / बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु योजनाएं बनायी जा सकेंगी। इसके [illegible] बेरोजगार अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार की प्रमाणित संख्या भी उपलब्ध हो सकेगी।

2- सेवायोजन पोर्टल www.sewayojan.up.nic.in पर पंजीकरण हेतु सर्वप्रथम बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों द्वारा [illegible] तत्पश्चात पोर्टल पर लॉगइन कर [illegible] अपनी [illegible] सूचनाएं अपलोड करने की व्यवस्था है। बेरोजगार अभ्यर्थी द्वारा [illegible] शैक्षिक अनुभव, कौशल [illegible] सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं पोर्टल पर प्रविष्ट करने [illegible] की रिपोर्ट (X-10) का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है।

2/-

-2-

3- सेवायोजन पोर्टल में नियोजकों के पंजीकरण की भी व्यवस्था की गयी है। निजी क्षेत्र के समस्त नियोजकों द्वारा पोर्टल पर यूजर नेम एवं पासवर्ड बनाने के उपरान्त अपने संस्थान से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएं पोर्टल में प्रविष्ट कराने के उपरान्त अपना पंजीयन कराने की व्यवस्था है। पंजीयन कराने के उपरान्त निजी क्षेत्र के नियोजक अपने संस्थान की रिक्तियां को पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। इन अपलोड की गयी रिक्तियों के सापेक्ष अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर ही आवेदन करने की व्यवस्था की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवायोजन विभाग के उक्त पोर्टल www.sewayojan.up.nic.in पर प्रदेश के अन्तर्गत होने वाली समस्त सरकारी, अर्द्ध सरकारी, संविदा, आउटसोर्सिंग एवं निजी क्षेत्र की भर्तियों तथा स्वरोजगार हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों का पंजीकरण अनिवार्य किये जाने की व्यवस्था की जाए। तदनुसार समस्त विभागों द्वारा अपने भर्ती सम्बंधी प्रपत्रों में सेवायोजन पंजीकरण संख्या अंकित करने हेतु यथावश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संलग्नक-2

सेवा में,

समस्त नियोजक
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र
जनपद लखनऊ।

पत्रांक 1164-65 ई0एम0आई0 / पंजीकरण / 2019 दिनांक 17.08.2019

विषयः उ0प्र0के अन्तर्गत भरी जानेवाली समस्त नौकरी हेतु सेवायोजन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र सं0 320 / छत्तीस–5–2019–7 (88) / 2017 टी0सी0 दिनांक 26 जून 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत सेवायोजन विभाग के पोर्टल sewayojan.up.nic.in पर भरी जाने वाली समस्त नौकरियों (समस्त सरकारी / अर्द्ध सरकारी, निजी क्षेत्र / संविदा / आउटसोर्सिंग से भरी जाने वाली रिक्तियों / अथवा स्वरोजगार) हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों का सेवायोजन के पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है जिससे प्रदेश में प्रति वर्ष बेरोजगार अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार की प्रमाणित संख्या उपलब्ध हो सके। नियोजक सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने के उपरान्त अपने संस्थान की रिक्तियां अपलोड कर सकेंगे एवं समस्त विभाग अपने भर्ती सम्बन्धी प्रपत्रों पर सेवायोजन पंजीकरण संख्या अंकित कराने हेतु यथा आवश्यक संशोधन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – मुख्य सचिव का पत्र

जिलाधिकारी
कौशल राज शर्मा
जिलाधिकारी
लखनऊ

पत्रांकः ई0एम0आई0 / पंजीकरण / 2019 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः सहायक निदेशक (सेवा0) क्षे0 से0 का0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश का परिचालन एवं अनुपालन सुनिश्चित कराए।

जिलाधिकारी
लखनऊ।